



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

270

रजिस्टर्ड पंजी० नं० R न०१२१

निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०

दिनांक ०६/०७/२०२३

स्थाई निवास का पता:

श्री.....बलभीत सही
पुत्र श्री.....महेन्द्र सही
ग्राम.....बठमतपुर चन्द्र इन्हेली
ब्लाक.....महेन्द्र
जिला—सीतापुर

एप्लीकेशन नं० 1008995852 मोबाइल नं० 969595852

महोदय,

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक २६.०६.२०२३ के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ✓ HT / LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि | <u>150 x 200 = 30000.00</u> |
| S/S बनाने में व्यय धनराशि | <u>30000.00</u> |
| शासन द्वारा देय छूट | <u>30000.00</u> |
| जमानत धनराशि | <u>2400.00</u> |
| फिक्स+मीटर की धनराशि | <u>4957.00</u> |
| योग रु० | <u>37357.00</u> |

अन्य आवश्यक शर्तें

- आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आयें तथा मात्र 100.00 रुपये के नाम जूडिशियल स्टान्ड पेपर एवं 1.00 रुपया का रसीदी टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आयें।
- मीटर निरीक्षण शुल्क 1200/- शासकीय कोष में 0043 विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री भण्डार केन्द्र, हुसैनगंज सीतापुर से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।
- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनवाने का कार्य उपमोक्ता द्वारा कराया जायेगा।
- सीमेन्ट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे एंगिल पोल तथा सब स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी—
प्रति खम्मा आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 2 बोरी, बालू 4.55 घन फिट, गिट्टी 9.10 घन फिट
प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 0.31 बोरी, बालू 5.85 घन फिट, गिट्टी 3.70 घन फिट
- उपमोक्ता द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार लाइन बनाने में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसके लिए उपमोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउण्टर के निम्न कृषक भी साथ ही धन जमा करें।
- संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त किये जा सकेंगे।
- उपमोक्ता को विद्युत भण्डार केन्द्र हुसैनगंज से वरीयताक्रम के अनुसार सामग्री निर्गत की जायेगी।
- पूर्ण जमा योजना में विद्युत लाइन बनवाने की जिम्मेदारी स्वयं उपमोक्ता की होगी। इसके लिए विनाग उत्तरदायी नहीं है।
- टी.सी. निर्गत होने की तिथि से 3 माह (90 दिन) के अन्दर धनराशि करनी होगी।

भवदीय

पत्रांक— R न०१२१ / विविंखंप्रथम/सी०/तददिनांक—

०६/०७/२०२३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड महोली।
- अधिं अभिं विं परी० खण्ड, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बित उपमोक्ता के परिसर में मीटर लगवाना सुनिश्चित करायेंगे।
- सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई, सीतापुर)।
- अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सीतापुर।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता



Scanned with OKEN Scanner